-19 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना-पत्र 212 RTA पर सुनी गई वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र 212 RTA पत्रावली 27-11-19 को पेश हो।

-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. वास्ते आदेश पत्रावली 28-11-19 को पेश हो।

28-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। आदेश सुनाया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 41/2016 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 14.07.2016 — जनक सिंह (RAS)

## बउनवान

1. रिंकू आत्मज गिरिराज जाति मीणा निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. कैलाश बाई बेवा गिरिराज जाति मीणा निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. पिंकी पुत्री गिरिराज जाति मीणा निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. मीना नाबालिग पुत्री गिरिराज जाति मीणा जरिये संरक्षक माता कैलाशबाई निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. मनीषा नाबालिग पुत्री गिरिराज जाति मीणा जरिये संरक्षक माता कैलाशबाई निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थीगण –

## बनाम

1. रमेश आत्मज गोपाल जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. राधेश्याम आत्मज गोपाल जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. हरिओम आत्मज अर्जुन जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. दिलीप आत्मज रमेश जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. मनोज आत्मज रमेश जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. सुगनाबाई पत्नि रमेश जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री आरिफ अली एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री सुरेश कुमार एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

# निर्णय

दिनांक :– 28.11.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नई 398 पुरानी 53 के खसरा नं0 14 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नं0 16 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय कुल 2 किता कुल रकबा 2.19 हैक्टर वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण खातेदार कृषक है तथा शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अन्य लोगों के साथ आये दिन कृषि भूमि पर आते है तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देते है दिनांक 05.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 कुछ साथियों के साथ आये उपरोक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। दिनांक 06.07.2016 को प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को हाकने के लिये गये तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा रास्ता रोक लिया। तथा जान से मारने की धमकी दी। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किसे भी हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि खसरा नं0 14 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नं0 16 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय कुल 2 किता कुल रकबा 2.19 हैक्टर वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ के किसी भी भू भाग पर जबरन कब्जा नही करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 14 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नं0 16 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय कुल 2 किता कुल रकबा 2.19 हैक्टर वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि पर या किसी भी भाग पर कब्जा कर सकते है। यदि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति पारित होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। तथा अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज नं0 96, आर.आर. डी. 1993 पेज नं0 443, आर.आर.डी. 1988 पेज नं0 641, आर.आर.डी. 1997 पेज नं0 59 पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि 1 लगायत 6 के पूर्वज गोपाल जी व उनकी धर्मपत्नि नाथीबाई के द्वारा आपस में मिलीभगत करके कृषि भूमि का बटवारा विधिवत नही किया गया। विधि विरूद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उन्होने अपने समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2002 पेज नं0 212 एवं 213 पेश किये।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वर्णित कृषि भूमि के खातेदार कृषक एवं कब्जा काश्त है। वर्णित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का कोई हक अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को क्षति होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। क्षति एवं सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 14 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नं0 16 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय कुल 2 किता कुल रकबा 2.19 हैक्टर वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करें न ही कब्जा करें एवं न ही काश्त करने से रोके। न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)